कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(हैल्पलाईन नं: 8306002129; फोन: 0291-2943451; ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.जो.जि. / PLV-विज्ञप्ति / 2024 / 01 दिनांकः 01.02.2024

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F-2()/रालसा / पीएलवी / DS-I / 26252-26255 दिनांक 16.09.2019 एवं 33022-33057 दिनांक 12.10.2020 एवं एफ 2(37)पीएलवी / डीएस-1 / 20000-35 दिनांक 24.11.2021 एवं 1766-1801 दिनांक 17.01.2023 एवं एफ 2( ) / डीएस-1 / रालसा / 2023 / 20690-20734 दिनांक 17.01.2024 के निर्देशानुसार जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के तालुकाओं में स्थित निम्नलिखित पंचायत समितियों पर निम्नानुसार पैरा लीगल वॉलियन्टर्स (पी0एल0वी0) के रूप में बाद प्रशिक्षण चयन कर पैनलित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र0 सं0	संबंधित प्राधिकरण / तालुका समिति का नाम	पंचायत समिति का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जाना है	पी0एल0वी0 की संख्या
01	जोधपुर जिला मुख्यालय	बावड़ी	01
02	फलौदी	फलौदी	01
03	फलौदी	बाप	02
04	फलौदी	आउ	01
05	फलौदी	घंटियाली	03
06	बिलाड़ा	बिलाड़ा	04
07	ओसियां	ओसियां	03
08	ओसियां	बापिणी	04
09	पीपाड़ शहर	पीपाड़ शहर	01
10	पीपाड़ शहर	भोपालगढ़	01
11	बालेसर	सेखाला	01
12	बालेसर	चामू	01
		कुल	23

1. **<u>शैक्षणिक योग्यताः</u>** आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी होनी चाहिए।
2. **<u>आवेदन पत्रः</u>** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
3. **<u>परीक्षाः</u>** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।
4. **<u>चरित्रः</u>** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. **<u>शारीरिक योग्यताः</u>** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।
6. **<u>आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:</u>**

- जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें)

01.02.2024

- जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है, तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
- किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र।
- यदि आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक/एम0एस0 डब्ल्यू0 छात्र/छात्रा व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/डॉक्टर/फिजिशियन/छात्र/ छात्रा व विधि छात्र/छात्रा (जब तक वकालत के लिए एनरोल न हों)/गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/सेवाभावी एन0जी0ओ0, क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

7. **<u>आवेदन की अंतिम तिथिः</u>** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला मुख्यालय एवं जोधपुर जिला के अधीनस्थ संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी, पीपाड़, ओसियां, बालेसर एवं बिलाड़ा के कार्यालय में **दिनांक 12.02.2024 को सांय 05.00** बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

<u>पात्रताः</u>

पी0एल0वी0 का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात् किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पी0एल0वी0 हेतु आवेदन कर सकते हैं:–

• आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी	• वरिष्ठ नागरिक
• एम0एस0डब्ल्यू0 छात्र/छात्रा व अध्यापक	• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
• डॉक्टर	• फिजिशियन
• छात्र/छात्रा व विधि छात्र/छात्रा (जब तक वकालत के लिए एनरोल न हों)	• गैर राजनीतिक दलों के सदस्य
• सेवाभावी एन0जी0ओ0, क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम स्वयं सहायता समूह	

8. **<u>चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी):</u>**

- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को तालुका विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- पी.एल.वी. द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

01.02.24

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(हैल्पलाईन नं: 8306002129; फोन: 0291–2943451; ई–मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

- विहित प्रपत्र में पी0एल0वी0 प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का विवरण जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान को देंगे।
- पंचायत समिति पर स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले पी0एल0वी0 को समय समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण को ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- पी0एल0वी0 विधिक सेवा क्लिनिक पर उपलब्ध रजिस्टर व विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर स्वयं द्वारा प्रमाणित करेंगे। माह की समाप्ति के उपरान्त रिपोर्ट संबंधित माह व रजिस्टर व विहित डायरी में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित छायाप्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के कार्यालय में प्रेषित करेगा।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध करायें गये मेटीरियल का प्रचार व प्रसार करना।

9. **साक्षात्कारः** जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. के साक्षात्कार की तिथि व स्थान व अन्य आदेशों, कर्त्तव्यों, नियमों की सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jodhpur पर भी उपलब्ध करवाई जायेगी। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

10. **स्पष्टीकरणः** यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य करने हेतु इच्छुक पंचायत समिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् किस पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी के आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोटः– 01. आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला, तालुका विधिक सेवा समिति–फलौदी, पीपाड़, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jodhpur से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

02. आवेदनकर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी, पीपाड़, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

01-02-2-24.

(निहाल चन्द)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर एवं सैशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(हैल्पलाईन नंः 8306002129; फोनः 0291–2943451; ई–मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.जो.जि. / PLV–विज्ञप्ति / 2024 / 375 – 434 दिनांकः 01.02.2024

विज्ञप्ति की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला
3. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी / पीपाड़ / ओसियां / बालेसर / बिलाड़ा
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर / फलौदी
6. श्रीमान् पुलिस कमिश्नर, जोधपुर
7. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्व / पश्चिम), जोधपुर
8. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण / फलौदी
9. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर
10. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स / लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर
11. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
12. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
13. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्रीमन् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
15. श्रीमान् अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल / महात्मा गांधी अस्पताल / उम्मेद अस्पताल, जोधपुर
16. श्रीमान् रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
17. श्रीमान् रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
18. श्रीमान् विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
19. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय), जोधपुर
20. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (प्रथम / द्वितीय), जोधपुर
21. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, फलोदी / बाप / ओसियां / पीपाड़ / भोपालगढ / बावड़ी / बालेसर / सेखाला / बिलाड़ा
22. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फलौदी / बाप / लोहावट / घंटियाली / आउ / बिलाड़ा / ओसियां / बापिणी / पीपाड़ शहर / भोपालगढ़ / बावड़ी / बालेसर / देचू / सेखाला / शेरगढ़ / चामू
23. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
24. प्रभारी अधिकारी / कारापाल, उप–कारागृह, फलौदी / पिचियाक
25. उननिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर
26. उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
27. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की रजिस्टर्ड वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jodhpur पर अपलोड करने बाबत्)

01.02.24

(निहाल चन्द)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर एवं सैशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(हैल्पलाईन नः 8306002129; फोनः 0291–2943451; ई–मेल आई.डी.: **dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com**)

पैरा–लीगल वॉलियन्टर्स (पी.एल.वी.) का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम
   (देवनागरी एवं रोमन लिपि में) : .... (देवनागरी लिपि)
   : .... (रोमन लिपि)
2. पिता / पति का नाम : ....
3. विवाहित / अविवाहित
   (विवाहित होने की स्थिति में
   पति / पत्नि का नाम लिखें) : ....
4. जाति : ....
5. संवर्ग – सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग
   (जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें) : ....
6. स्थाई पता मय दूरभाष / मोबाईल नम्बर / ई–मेल आई.डी. : ....
   ....
   ....
7. वर्तमान पता : ....
   ....
8. स्थानीय पंचायत समिति का नाम : ....
9. पड़ौस की पंचायत समिति का नाम : ....
10. आवेदक पी.एल.वी. के रूप में जिस स्थान / क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम : ....
11. निकटतम पुलिस स्टेशन : ....
12. जन्म तिथि (अंकों में) : ....
    (शब्दों में) : ....
    वर्तमान आयु(दिनांक 01.02.2024 को) : ....
13. शैक्षणिक योग्यता : ....

14. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए : ....

15. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण : ....

16. यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण (हॉ/नहीं) : ....
....

17 कम्पयूटर ज्ञान (हॉ/नहीं) : ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

सत्यापन

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..निवासी ....सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं ....पंचायत समिति.............................. ....में स्थित पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूं।

दिनांक :–

(आवेदक के हस्ताक्षर)